

3 12  
2024

वकील साफल उपर। मूल वाद कारिका अपराध-मुक्त है।  
मूल वाद के अभाव में हम प्रावर्तित कार्यवाही का  
कोई औचित्य नहीं है। अतः यह प्रार्थना मूल वाद के समाप्त  
में कारिका समाप्त पाता है। पत्राचार के लिये शुभल होना  
अपेक्षा है। मूल वाद के साथ शामिल है।

उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राजग)